सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F. No. NCST/DEV-1109/MP/8/2022-ESDW **Dated: 10.05.2023**

To,

1. **The Additional Chief Secretary,**
Department of Water Resources,
Government of Madhya Pradesh,
Jal Sansadhan Bhawan,
Tulsi Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh - 462003
E-Mail: pswrd@mp.gov.in

2. **The Principal Secretary,**
Department of Revenue,
Government of Madhya Pradesh,
Vallabh Bhavan - 2, Mantralaya,
Arera Hills, Bhopal, Madhya Pradesh-462011
E-Mail: psrevenue@mp.gov.in

3. **The Principal Secretary,**
Department of Tribal Affairs,
Government of Madhya Pradesh,
2nd Floor, Satpura Bhawan,
Arera Hills, Bhopal-462011,
Madhya Pradesh
E-Mail: pstwd@mp.gov.in

4. **The Collector and District Magistrate,**
District – Jhabua
Collectorate Office,
Jhabua – 457661
Madhya Pradesh
E-Mail: dmjhabua@nic.in

Sub: Field Visit Report of the Investigation Team of the Commission conducted on 20.04.2023 in the matter of Shri Ukharba Ghamad & others, R/o Charankotda Village, Bekaldha Panchayat, Petlawadh Teshil, Jhabua District, Madhya Pradesh – regarding long intentional delay in Compensating 806 ST families of 12 Villages of Petlawadh Teshil, Jhabua District affected by Mahi dam project.

Sir/Madam,

I am directed to enclose a copy of the Field Visit Report of the Investigation Team consisting of Shri Ankit Kumar Sen, Research Officer, Ms. Ankita Solanki, Senior Investigator and Shri Avinash, Legal Consultant, National Commission for Scheduled Tribes constituted to investigate the matter cited above.

2. In this regard, it is requested that action taken/to be taken on the recommendations/finding made in the Report may please be sent **within 30 days** from the receipts of this letter for placing the same before the Hon'ble Commission.

Encl: As above

Yours faithfully,

Miranda. Ingudam

(Smt. Miranda Ingudam)
Director

Copy for information to: -

1. **Shri Ukharba Ghamad,**
Charankotda Village,
Bekaldha Panchayat,
Petlawadh Teshil,
Jhabua District,
Madhya Pradesh-457775

2. **Shri Kailash Meda,**
Charankotda Village,
Bekaldha Panchayat,
Petlawadh Teshil,
Jhabua District,
Madhya Pradesh-457775

3. NIC CELL, NCST

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाइल क्रमांक NCST/DEV-1109/MP/8/2022-ESDW

मध्यप्रदेश जिला झाबुआ में माही डैम परियोजना में विस्थापित विभिन्न ग्रामों में किए गए दौरे का विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के निर्देशानुसार श्री अंकित कुमार सेन, अनुसंधान अधिकारी, सुश्री अमृता सोलंकी, वरिष्ठ अन्वेषक, श्री अविनाश, विधिक सलाहकार द्वारा दिनांक 20.04.2023 को मध्यप्रदेश के जिला झाबुआ में माही डैम परियोजना में विस्थापित विभिन्न ग्रामों का दौरा कर पुनर्वास संबंधी विसंगतियो के संबंध में प्राप्त शिकायत की स्थलीय जाँच की गयी।

आयोग को प्राप्त शिकायत के तथ्य :-

दिनांक 13.11.2022 को शिकायतकर्ता ओंकार घामड़ द्वारा एक लिखित शिकायत आयोग को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत में लेख है कि जिला झाबुआ के 12 गाँवों के 806 परिवार जो माही डैम बनने से विस्थापित हुए थे उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा साकल्दा डैम की गाइड लाइन से दिया गया जबकि माही परियोजना के लिए कोई गाइड लाइन नहीं बनाई गयी। ग्रामीणों को मुआवजा 1990 में दिया जबकि पुनर्वास नीति 2002 में 12 वर्ष बाद बनाई गयी। फिर सन 2003 में कुछ मुआवजा दिया गया और जमीनों का अधिग्रहण किया गया, उनमें भी बहुत विसंगतियाँ थीं जैसे कि मुआवजा देने के दौरान सिंचित कृषि भूमि को असिंचित दर्शाया गया, बहुत लोगों को कुआँ, पाइप लाइन, आदि का मुआवजा नहीं दिया गया। जिनको कुआँ, पाइप लाइन का मुआवजा दिया गया, उन्हीं की जमीन को असिंचित बता कर उन्हे असिंचित का मुआवजा दिया गया। माही विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु एक कागज में नीति बताई और कागज सभी डूब प्रभावित को वितरित किया। उस कागज के मान से हमें आज तक कुछ भी मुआवजा नहीं मिला है। ग्राम कोटडा चारण के पास में बड़लीपाड़ा नामक जगह है, वहाँ के लोगों को रातों-रात माही परियोजना विभाग की गाड़ी ने बिना पुनर्वास नीति और बिना मुआवजा दिये पुलिस के बल पर उबड खाबड़ में फेंक दिया गया। जो कोई भी मजदूरी पर गया था उनके मकान का नामोनिशान नहीं बचा, उन गरीब परिवारों की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। कृषि भूमि के आस-पास बहुत पेड़ पौधे थे जिसमें महुआ, आम, सागौन, अर्जुन, सीताफल, जाम, तेंदू, धावड़ा, खाकरा, तनश, नीम, सित्री,आदि विभिन्न प्रकार के फलदार, इमारती, जलाऊ पेड़-पौधे थे, जिनका कोई मुआवजा नहीं मिला। कई लोग मकान के मुआवजे से वंचित हैं। डूब प्रभावितों को साकल्दा डैम की गाइड लाइन से कृषि भूमि का मुआवजा दिया तो कुछ कृषकों को कलेक्टर द्वारा स्वयं की गाइड लाइन से मुआवजा दिया गया। शिकायतकर्ता द्वारा इन विसंगतियों को दूर कर मुआवजा दिलवाने तथा पुनर्वास हेतु उचित व्यवस्था करवाने की प्रार्थना आयोग से की गयी थी। शिकायतकर्ता ने इन 12 ग्रामों की सूची अपने अभ्यावेदन के साथ (मय हस्ताक्षर 12 ग्रामों के प्रतिनिधि) संलग्न की है।

आयोग द्वारा द्वारा पूर्व में की गयी कार्यवाही

1. दिनांक 18.11.2022 आयोग द्वारा श्री एस.एन. मिश्रा, अतिरिक्त प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग, राज्य सरकार म.प्र., डॉ पल्लवी जैन प्रमुख सचिव जनजातीय विभाग, राज्य सरकार म.प्र., रजनी सिंह, जिला कलेक्टर, झाबुआ को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस भेजा गया।
2. दिनांक 06.12.2022 को जल संसाधन विभाग ने आयोग के नोटिस का उत्तर दिया जिसमें बताया गया कि सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिल चुका है।

3. दिनांक 06.12.2022 को झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह को दिनांक 08.12.2022 को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया।

4. 08.12.2022 को की गयी सुनवाई में आयोग द्वारा मामले की न्यायोचित जाँच एक जिला स्तरीय समिति द्वारा करवाये जाने एवं 15 दिनों में आयोग को रिपोर्ट भेजने की अनुशंसा की गयी। आयोग को जिला कलेक्टर से कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई।

5. दिनांक 23.02.2023 को प्रार्थी की ओर से पुनः एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने बताया कि आयोग की अनुशंसाओ पर कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है।

6. दिनांक 27.03.2023 को झाबुआ कलेक्टर रजनी सिंह, डॉ पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग एवं श्री एस.एन. मिश्रा,अतिरिक्त प्रमुख सचिव, जल संसाधन विभाग को दिनांक 10.04.2023 को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए समन भेजा गया।

7. दिनांक 10.04.2023 को हुई सुनवाई में डॉ पल्लवी जैन गोविल, प्रमुख सचिव, जनजाति कार्य विभाग उपस्थित हुईं जिन्होने बताया कि वर्तमान में इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं है। सुनवाई में प्रस्तुत तथ्यों की आधार पर आयोग के माननीय सदस्य द्वारा स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिये गए।

8. आयोग द्वारा तीन सदस्यीय स्थलीय जाँच दल का गठन किया गया।

जाँच दल द्वारा किये गए अवलोकन –

प्रस्तुत प्रकरण में जाँच दल दिनांक 20.04.2022 को झाबुआ जिले में पहुंचा। जाँच दल द्वारा ग्राम भेरु पाड़ा, जोसर पाड़ा, काली किराय तथा माही डैम सहित डैम का वह स्थान जिसमें वरलीपाड़ा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था, का दौरा किया गया तथा ग्राम कोटरा चारण ग्राम में उपस्थित 8 ग्राम के ग्रामीणों से चर्चा की गयी। जिन ग्रामों का दौरा किया गया उनसे प्राप्त तथ्य निम्नानुसार है :-

1. **ग्राम भेरु पाड़ा-**

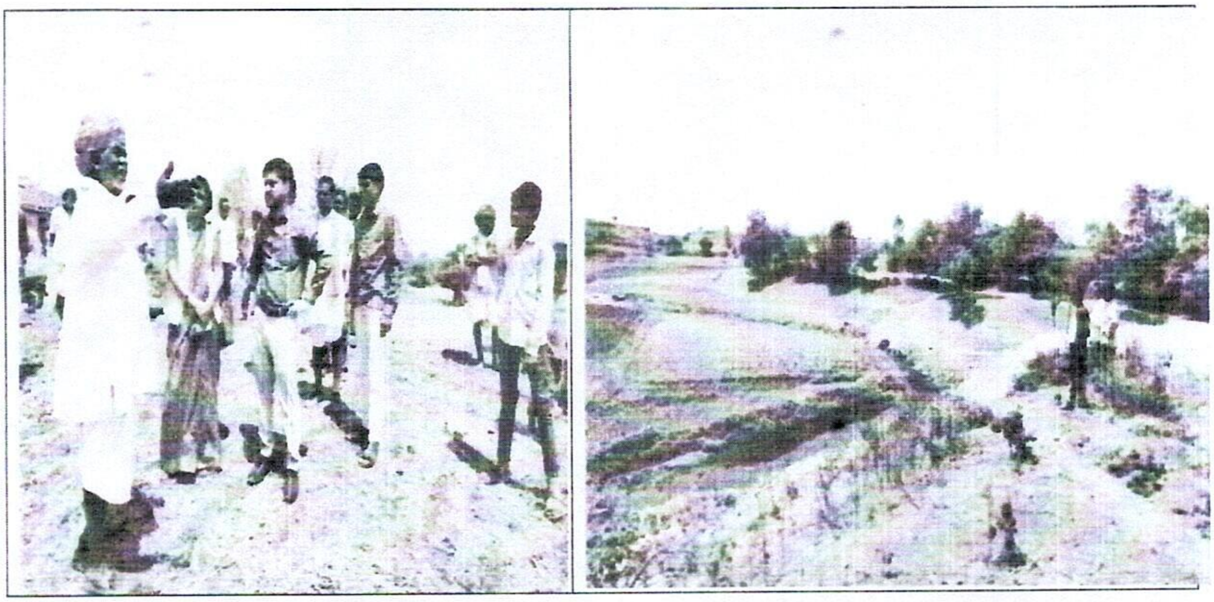

ग्राम भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि नुकसान जितना हुआ, उतना मुआवजा नहीं मिला क्योंकि आकलन सही तरीके से नहीं हुआ है। करन सिंह दाहिमा द्वारा बताया कि मेरे खेत के कुए और महुआ पेड़ का मुआवजा नहीं मिला है

क्योंकि आकलनकर्ता अधिकारियों द्वारा मुआवजे में इसकी गणना ही नहीं की गयी है। झाली बाई ने बताया कि हम जहाँ खेती करते हैं वह जगह डूब क्षेत्र में चली गयी थी, पर कागज नहीं होने से मुआवजा नहीं मिला।

2. ग्राम जोसर पाड़ा–

ग्राम भ्रमण के दौरान स्थानीय ग्रामवासी ईश्वर सिंह एवं कालु सिंह ने कुछ घरों के अवशेष बताए जिनका आज तक मुआवजा नहीं मिला है। एक मृत घोषित महिला नानी बाई जो कि वस्तुत: जीवित है तथा आयोग के दल से मिली है, उसके परिजनों का कहना है कि नानी बाई के मुआवजे की बात करने गए तो अधिकारियों ने कागज देख कर बताया कि वह मृतक दर्ज हैं। ऐसे ही गाँव में अलग-अलग देवताओं के 5 मंदिर थे, जिन्हें समिति बना कर गाँव वाले कहीं और स्थापित करना चाहते हैं पर उनका भी मुआवजा नहीं मिला हैं।

3. **ग्राम काली किराय-**

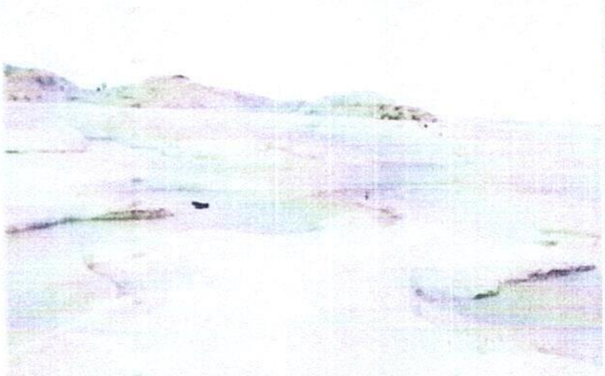

ग्राम कालीकिराय में स्थानीय ग्रामीण नाथा नरसिंह द्वारा डूब क्षेत्र में चले गए उन कुओं को दिखाया गया जिनकी ऊपरी सतह अभी भी पानी में दिखाई देती है तथा वहाँ इमली, आम आदि पेड़ो के सूखे तने भी दिखाई पड़ते हैं जो लोगों के खेत में थे, उनका मुआवजा भी नहीं दिया गया। ग्राम पूजा स्थलों को लेकर कोई मुआवजा नहीं मिला।

4. **माही डैम (ग्राम वरलीपाड़ा के समीप) –**

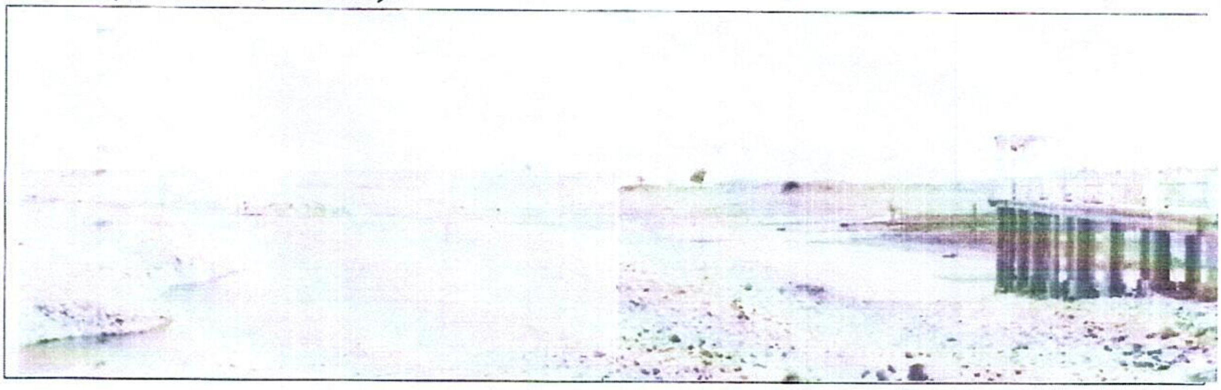

इस स्थान पर पुराने बिजली के खंबे भी नजर आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार लोग इनकी बिजली के माध्यम से मोटर चला कर कुओं के पानी से सिंचाई करते थे। जिन लोगों ने सिंचाई की पाइप लाइन हेतु लोन लिया था, उनके खेतों को भी असिंचित बता दिया गया। उक्त स्थान पर महुआ व अन्य पेड़ों के अवशेष दिखाई देते है, जिनके मुआवजे भी नहीं मिले।

ग्राम कोटरा चारण ग्राम में उपस्थित 8 ग्राम के ग्रामीणों के साथ चर्चा से प्राप्त तथ्य निम्नानुसार हैं–

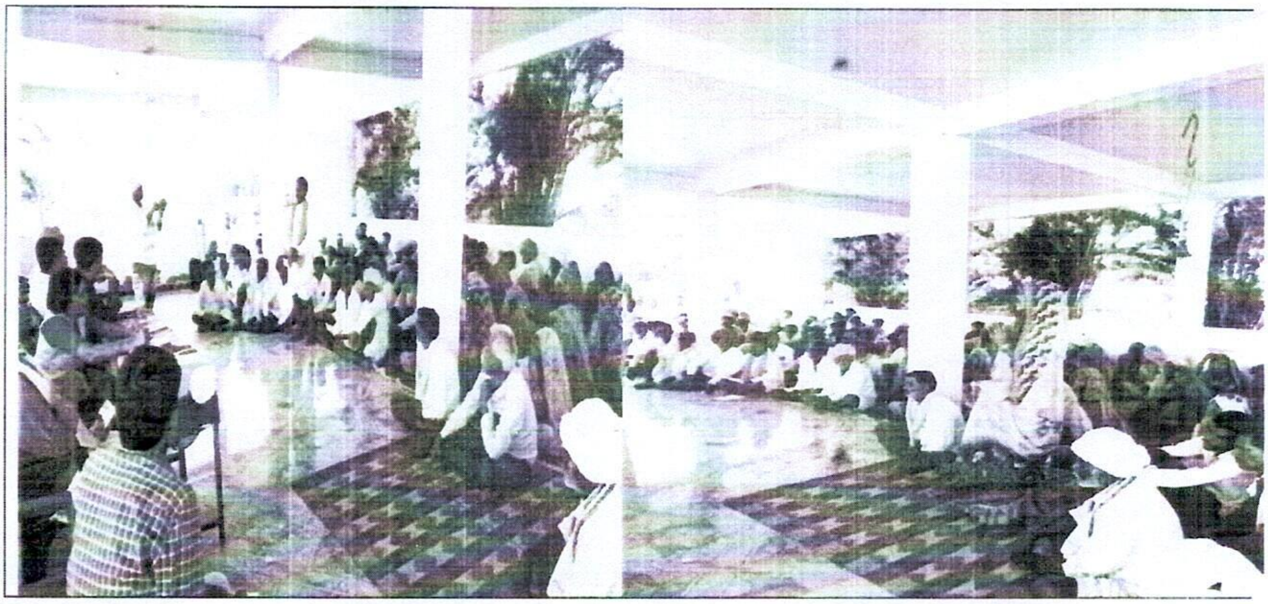

1. 1990 में बरलीपाड़ा ग्राम के तत्कालीन 16 परिवारों को रात में बल पूर्वक विस्थापित किया गया। उन परिवारों के सदस्य जो उक्त घटना के साक्षी हैं, वह भी आयोग के दल द्वारा की गयी चर्चा में उपस्थित थे। उस समय वह लोग कम उम्र के थे, उन्होने बताया कि जिस रात वह विस्थापित हुये उसी रात बारिश (मावठा) हुई थी। अपने बच्चों, स्त्रियों और पशुओं के साथ बरसते पानी में सभी परिवारों ने रात बिताई थी। तत्कालीन कोई शेल्टर की व्यवस्था नहीं की गयी थी। इस घटना के साक्षी हरीराम, पिता मानसिंह ने बताया कि मेरी बहन गर्भवती थी। रात में जब अफरा- तफरी हुई तो उनकी बहन का गर्भपात हो गया क्योंकि कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकी।
2. माही डैम पुनर्वास की कोई स्पष्ट नीति आज तक नहीं बनी, साकल्दा डैम के दिशानिर्देशों के आधार पर मुआवजा बना।
3. विस्थापितों के नुकसान का आकलन ठीक से नहीं हुआ, सिंचित भूमि को असिंचित बताया गया।
4. कुओं एवं पाइप लाइनों का मुआवजा नहीं दिया गया।

5. फलदार वृक्षों का आकलन मुआवजे के लिए नहीं हुआ।
6. झकनावद क्षेत्र के 3 ग्रामों में कलेक्टर द्वारा नीति निर्धारण कर मुआवजा दिया गया किन्तु बाकी गावों के लिए नीति नहीं बनाई गायी। मौके पर उपस्थित वालचंद कटारा ने बतया कि सूची में मेरा नाम दर्ज है पर मुआवजा नहीं दिया गया।

जाँच दल द्वारा शिकायत में उल्लेखित 12 में से 3 ग्रामों एवं माही डैम का दौरा किया गया एवं ग्रामीणों द्वारा उक्त 8 ग्रामों के प्रतिनिधियों से गायत्री मंदिर, चारणकोटड़ा में चर्चा की गयी। जाँच दल द्वारा अपने निरीक्षण में यह पाया गया कि :-

1. शिकायतकर्ता के द्वारा आवेदन में वर्णित तथ्यो की पुष्टि हुई है।
2. जाँच दल द्वारा विस्थापितों को दिये गए मुआवजे के आकलन में विसंगतियाँ पायी गयीं तथा परियोजना विशेष के लिए उचित विस्थापन नीति का अभाव देखा गया।
3. अधिकतम लोगों को पुनर्वास हेतु कोई भी भूखंड उपलब्ध नहीं कराया गया एवं जिन लोगों को भूखंड दिया गया, वो भी मकान निर्माण एवं रहने योग्य नहीं था।
4. जाँच दल ने यह भी पाया कि डूब प्रभावित विस्थापितों की कृषि भूमि, पेड़-पौधे, कुएँ, पाइप लाइन एवं निवास स्थान का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ।
5. विस्थापितों के व्यक्तिगत अधिकारों के साथ साथ ग्राम के सामुदायिक अधिकारों का भी उचित मूल्यांकन नही हुआ।

जाँच दल का निष्कर्ष :-

1. राज्य सरकार द्वारा माही डैम विस्थापितों के विस्थापन से उत्पन्न परिस्तिथियों के मूल्यांकन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें संबधित विभागों के साथ साथ उन विस्थापित ग्राम के प्रतिनिधि, जनजाति अधिकारो के विशेषज्ञ एवं डैम विस्थापन नीति के विशेषज्ञ भी सदस्य होने चाहिए तथा जो स्वतंत्र रूप से उक्त प्रकरण की जाँच करें।
2. माही डैम विस्थापितों की परिस्थितियों के आधार पर एक पृथक एवं स्पष्ट पुनर्वास नीति की आवश्यकता है, जिसके अनुसार विस्थापित ग्रामीणों को उचित मुआवजा एवं पुनर्वास दिया जाये।

(अंकित कुमार सेन)	**(अमृता सोलंकी)**	**(अविनाश)**
अनुसन्धान अधिकारी	**वरिष्ठ अन्वेषक**	**विधिक सलाहकार**